मुण्डावर [illegible]

18/2/25 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी वादी
का दावा डिग्री किया जाता है। नियमानुसार
[illegible] के [illegible] कलम के [illegible] पत्र
[illegible] रहे। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] पत्रावली [illegible]
हो कर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हो

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
42 / 2024	18.03.2024	18.02.2025

बउनवान

1. कमलेश देवी पत्नी मुनेश कुमार जाति जाट निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: वादीया

बनाम

1. मग्गीराम पुत्र हरदयाल
2. प्रभु पुत्र श्योराम
3. श्रीराम पुत्र बंसता निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. भगवती देवी पत्नी धर्मवीर
5. सविता देवी पत्नी कर्णसिंह जाति जाट निवासी खुरमपुर तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।
6. उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0
7. तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0
8. प्रबंधक महोदय, केनरा बैंक शाखा खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री पृथ्वीसिंह यादव :– वादी अधिवक्ता

वादीया के वाद का सार निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि आ० हाल ख०न० 86 रकबा 0.56 हैक0, 131 रकबा 0.49 हैक0, 170 रकबा 0.42 हैक0, 235 रकबा 0.28 हैक0, 238 रकबा 0.19 हैक0, 583 रकबा 0.43 हैक0, 775 रकबा 0.24 हैक0, 780 रकबा 0.24 हैक0, 790 रकबा 0.29 हैक०, कुल किता 9, कुल रकबा 3.17 हैक०, वाके ग्राम नंगली औझा तह० मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0 में स्थित है का 1/4 भाग प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।

सु.
सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. यह है कि उक्त आ0 में से हाल ख0न० 86 रकबा 0.59 हैक०, संम्वत 2069 के सैटलमैन्ट से पूर्व के साबिक ख0न0 73 से, हाल ख0न0 131 साबिक ख0न0 107 से, हाल ख0न0 170 साबिक ख0न0 143 से, हाल ख०न० 235 साबिक ख0न० 181 से, हाल ख०न० 238 साबिक ख०न० 184 से, हाल ख०न० 583 साबिक ख०न० 464 से, हाल ख०न० 775 साबिक ख0न0 618 से. हाल ख0न0 780 साबिक ख0न0 623 से. हाल ख०न० 790 साबिक ख0न0 633 से, बने है। उक्त सभी साबिक ख० नम्बरान में से विक्रेता भगवती देवी पत्नी धर्मवीर तथा सविता देवी पत्नी कर्णसिंह जाति जाट निवासी खुरमपुर तह० बावल जिला रेवाडी (हरि0) दोनो का 1/8–1/8 हिस्सा कुल 1/4 भाग कब्जे काश्त खातेदारी का था जो मिन वादिया ने जयें रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 6/7/2017 को नियमानुसार उचित प्रतिफल अदा करके खरीद किया था वक्त खरीद से ही मिन वादिया मौके पर बिना किसी एतराज व विरोध के शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है।

3. यह है कि मिन वादिया अनपढ ग्रामीण महिला है तथा वादिया का पति भी कम पढा लिखा ग्रामीण व्यक्ति है जो कानूनी बाते नही समझ पाता है दानपर कराये जाने के बाद यह ध्यान नही दिया कि आगे क्या करना है दिसम्बर 2021 में किसी ने बताया की रजिस्ट्री कराने के बाद इंतकाल दर्ज कराना होता है। तो दिनांक 30/12/2021 को दानपत्र दिनांक 6/7/2017 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल कराने अर्थात इंतकाल दर्ज कराने के लिए हल्का पटवारी के नाम तहसीलदार मुण्डावर से आदेश कराकर असल दानपत्रा व तहसीलदार द्वारा आदेशित प्रा० पत्र हल्का पटवारी को दे दिये थे जो हल्का पटवारी ने वादिया को इंतकाल दर्ज करने की हॉ कहकर भेज दिया। मिन वादिया स्वयं व उसका पति कई बार हल्का पटवारी से मिले, हल्का पटवारी हमारी दस्तावेज को यों ही रखे रखा और ऐसे ही बहाना चलता रहा। अब चूंकि उक्त विवादित आ० में से नेशनल हाई वे (एक्सप्रेस हाई वे NH– 148B) सड़क का निर्माण किया जाना है अन्य आस पड़ौस के लोग जिनकी भूमि सड़क में अधिग्रहण की गयी उनको मुवावजा मिलने के लिए आवेदन मांगे जा रहे थे तो मिन वादिया ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि तुम्हारी रजिस्ट्री के आधार पर मुवावजा नहीं मिल सकता। वादिया ने इसका कारण पूछा तो खरीद शुदा ख०न० के राजस्व रिकार्ड में शिकमी काश्तकार का नाम दर्ज है शिकमी शब्द हटाये

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

जाने के बाद ही तुम्हे मुवावजा मिलने की कार्यवाही व इंतकाल दर्ज हो सकता है मिन वादिया ने श्रीमान तहसीलदार से सम्पर्क किया तो तहसीलदार मुण्डावर ने अदालत श्रीमान से आदेश कराने को कहा इसलिए अविलम्ब ही दावा इस्तकरार हक मय हु0 ई० दवामी पेश करना आवश्यक आया है।

4. यह है कि विवादित आ0 मिन वादिया की जयें रजिस्टर्ड दानपुत्र खरीदशुदा आ0 है जो विक्रेता को पूर्ण प्रतिफल अदा करते हुये दानपत के दिन से कब्जा लेते हुये मिन वादिया शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। लेकिन विक्रेता के नाम के साथ राजस्व रिकोर्ड में ख0 न0 86 रकबा 0.56 हैव० के साथ मग्गीराम पुत्र हरदयाल जाट सा० देह शिकनी साल 17/2, ख0न0 131 रकबा 0.49 हैक० के साथ प्रभु पुत्र श्योसहाय जाट सा० देह साल 17/2, ख0न0 170 रकबा 0.42 हैव0 के साथ श्रीराम पुत्र बसंता जाट सा० देह शिकमी साल 9/2, ख०न० 235 रकबा 0.28 हैक० के साथ प्रभु पुत्र श्योसहाय जाट सा० देह शिकमी साल 17/2 ख०न० 238 प्रभु पुत्र श्योसहाय जाट सा० देह शिकमी साल 17/2 राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से या प्रतिवादीगण से साजबाज होकर उक्त सिकमी दर्ज की गयी तथा अन्य खरीद शुदा ख०न० के साथ शिकनी या अन्य किसी प्रकार का कोई गलत इन्द्राज नही है उक्त ख०न० के साथ प्रतिवादीगण का नाम शिकमी के रूप में दर्ज होना मिन वादिया जो बोना फायड पर्चेजर है के हक हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है उक्त गलत एंट्री होने के कारण मिन वादिया की खरीद शुदा भूमि का इंतकाल दर्ज नही हो रहा तथा गलत इन्द्राज के कारण मिन वादिया अपनी जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा भूमि का मुआवजा की राशि प्राप्त करने से महरूम रह रही है जबकि मिन वादिया की खरीद शुदा भूमि के साबिक राजस्व रिकार्ड बिना किसी आधार पर प्रतिवादीगण का शिकमी के रूप में दर्ज कर दिया में किसी भी व्यक्ति का नाम शिकमी के रूप में नाम दर्ज नही है विकेता के पूर्वजो पतराम, (मदनलाल) वगैरा के नाम का अंकन हो रहा है लेकिन (संम्वत 2042–45 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में) प्रतिवादीगण का नाम शिकमी के रूप में दर्ज होना तथा विक्रेता के द्वारा (उचित प्रतिफल प्राप्त करके) भूमि विक्रय कर दिये जाने का विक्रय की गयी भूमि का कब्जा मिन वादिया को सुपुर्द किये जाने व मिन वादिया विवादित भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त होने के पश्चात भी मिन वादिया की जयें रजि0 दानपत्र खरीदशुदा आ0 के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का शिकमी/खातेदार

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

के रूप में दर्ज होना मिन वादिया के हक व अधिकारों के खिलाफ बातिल वो बेअसर है ना काबिल पाबंदी है काबिल दुरूस्ती है मिन वादिया अपनी खरीद शुदा आ0 के राजस्व रिकार्ड में बेजा तौर पर दर्ज शिकमी का नाम तथा विक्रेता भगवती व सविता का नाम कलमजन कराकर विवादित आ० को कब्जे काश्त खातेदार घोषित कराने की आधिकारी है।

5. यह है कि मिन वादिया विवादित आ० की बोना फायड पर्चेजर है जो वक्त खरीद से ही अपनी खरीद शुदा आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है शिकमी के रूप में दर्ज प्रतिवादीगण का विवादित आ0 पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा तथा दानपत्र दिनांक 6/7/2017 के बाद से विक्रेता भगवती देवी सविता देवी (प्रतिवादीगण) का विवादित आ० से कोई सम्बंध वो सरोकार नही है मिन वादिया बिना किसी एतराज व विरोध के मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकन चला आ रहा है गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण आये दिन ऐलानियां धमकी देते है कि राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम का अंकन हो रहा है मौके पर कब्जा लेकर तुम्हे बेदखल कर देंगे दिनांक 13/2/24 को प्रतिवादीगण ने ऐलानियां धमकी दी की राजस्व रिकार्ड के आधार पर नेशनल हाई वे रोड़ का मुवावजा हमारे नाम से जारी होगा जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नही जबकि प्रतिवादीगण का विवादित आ0 के बाबत कोई अधिकार हांसिल नही है मिन वादिया बोना फायड दान ग्रहिता है जो मौके पर काबिज काश्त है मिन वादिया को वक्त खरीद से ही खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है वादिया के अधिकार कानूनन सुरक्षित है जो प्रतिवादीगण को जर्ये हु०ई० दवामी पाबंद कराने का अधिकारी है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमायी जावे –

(अ) यह है कि डिकी इस्तकरारहक मय दुरूस्ती सादिर फरमायी जाकर विवादित आ० हाल ख०न० 86 रकबा 0.56 हैक0, 131 रकबा 0.49 हैक0, 170 रकबा 0.42 हैक0, 235 रकबा 0.28 हैक0, 238 रकबा 0.19 हैक०, 583 रकबा 0.43 हैक0, 775 रकबा 0.24 हैक0, 780 रकबा 0.24 हैक0, 790 रकबा 0.29 हैक0, कुल किता 9, कुल रकबा 3.17 हैक0, वाके ग्राम नंगली औझा तह० मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

राज० में स्थित मिन वादिया की कुल आ० का 1/4 भाग अपनी जरिये दानपत्र खरीद शुदा व कब्जेकाश्त खातेदारी की आ0 के राजस्व रिकार्ड में बेजा तौर पर दर्ज प्रतिवादीगण का शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज का नाम तथा विक्रेता भगवती व सविता का नाम कलमजन किया जाकर विवादित आ0 की कब्जे काश्त खातेदार घोषित किया जावे।

(ब) यह है कि डिकी हु०ई० दवामी सादिर फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आ० हाल ख०न० 86, 131, 170, 235, 238, 583, 775, 780, 790 वाके ग्राम नंगली औझा तह० मुण्डावर में मिन वादिया के खरीद शुदा आ० के 1/4 हिस्से की भूमि में वादिया द्वारा फसल काश्त किये जाने व उपयोग उपभोग किये जाने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण एक्सप्रेस हाई वे NH-148 B के बाबत अधिग्रहण की गयी भूमि का मुवावजा ना उठाये (प्राप्त ना करे) रिकोर्ड मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

(द) दीगर दादरसी जो बनजदीक श्रीमान उचित समझे सादिर फरमायी जावे।

वादीया के वाद को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण की विधिवित रूप से तामिल करवाई गई। विधिवत रूप से तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। पैरोकार सरकार ने जबाव प्रस्तुत नही किया गया, इसलिए पैरोकार सरकार का जबाव बन्द किया गया।

वादीया ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2068–71, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2069 किता 5, प्रदर्श–4 तहसीलदार को पेश किया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2021, प्रदर्श–5 रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 29.05.2017 स्टाम्प क्रय दिनांक जो दिनांक 06.07.2017 को रजिस्टर्ड हुआ। प्रदर्श –6 नकल जमाबन्दी सम्वत 2016 खाता संख्या 27 के बाबत है तथा नकल जमाबन्दी सम्वत 2016 जो खाता नम्बर 32 के बाबत है।

सुरे

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादीया अधिवक्ता ने वादी के वाद के समर्थन में बहस के दौराने कथन कहे कि विवादित आराजी वादी को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 05 से प्राप्त हुआ है। जिसका अंकन राजस्व रिकोर्ड में हो चुका है। परन्तु विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 सिकमी अमल दरामद हो रखा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज सिकमी को खातेदार होने बाबत का कोई हक अधिकार नही है, केवल असल खातेदार का ही हक अधिकार होता है। विवादित आराजी पर वादीया ही कब्जा काश्त कर रही है। मौके पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नही है। इसलिए विवादित आराजी का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर शिकमी को कलमजन किये जावें।

वादीया के वाद पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श–01 व प्रदर्श–2 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 शिकमी दर्ज रिकोर्ड है। प्रदर्श–5 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 04 व 05 ने वादीया को रजिस्टर्ड दान पत्र करवाया हुआ है, जिसका अमल प्रदर्श– 01 व 02 में अंकित है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 जो शिकमी खातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज शिकमी को कोई खातेदार होने हक अधिकार नही है। इसलिए वादीया का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

निर्णय

उक्त विवेचन के अनुसार वादीया के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद को स्वीकर किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 86 रकबा 0.56 हैक्0, 131 रकबा 0. 49 हैक्0, 170 रकबा 0.42 हैक्0, 235 रकबा 0.28 हैक्0, 238 रकबा 0.19 हैक्0, 583 रकबा 0.43 हैक्0, 775 रकबा 0.24 हैक्0, 780 रकबा 0.24 हैक्0, 790 रकबा 0.29 हैक्0, कुल किता 9, कुल रकबा 3.17 हैक्0, वाके ग्राम नंगली औझा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0 में वादिया को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया

सुरेश
सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

जाता है एवं उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में अंकित अ.विव. को कलमजन किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
(खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बघेल)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
42/2024	18.03.2024	18.02.2025

बउनवान

1. कमलेश देवी पत्नी मुनेश कुमार जाति जाट निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: वादीया

बनाम

1. मग्गीराम पुत्र हरदयाल
2. प्रभु पुत्र श्योराम
3. श्रीराम पुत्र बंसता निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. भगवती देवी पत्नी धर्मवीर
5. सविता देवी पत्नी कर्णसिंह जाति जाट निवासी खुरमपुर तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।
6. उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0
7. तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0
8. प्रबंधक महोदय, केनरा बैंक शाखा खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

<u>—: पर्चा डिक्री :—</u>

वादी की ओर से **श्री पृथ्वीसिह यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 18.02.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

आराजी हाल खसरा नम्बर 86 रकबा 0.56 हैक्0, 131 रकबा 0.49 हैक्0, 170 रकबा 0.42 हैक्0, 235 रकबा 0.28 हैक्0, 238 रकबा 0.19 हैक्0, 583 रकबा 0.43 हैक्0, 775 रकबा 0.24 हैक्0, 780 रकबा 0.24 हैक्0, 790 रकबा 0.29 हैक्0, कुल किता 9, कुल रकबा 3.17 हैक्0, वाके ग्राम नंगली औझा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल—तिजारा राज0 में वादिया को

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में अंकित अ.विव. को कलमजन किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा०ट्र०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर,
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज०

18/2/20	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी [illegible] पत्रावली फैसला शुदा होकर [illegible] बाद [illegible] जा चुकी है। पत्रावली [illegible] के कम हो। बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड [illegible] बाद रहे।	
	[signature] सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) मुख्यालय (खैरथल–तिजारा)	